



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2018 — ज्येष्ठ 11, शक 1940

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-09/2018/सात-1. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खंड (एक) के उपखंड (छ:) एवं (सात) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक व्यय विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	व्यय (3)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भू-अर्जन पर सेवा शुल्क	प्रतिकर का 2.5%

No. F 7-09/2018/Seven-1. — In exercise of the power conferred by sub-section (vi) and (vii) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013). State Government, hereby, specifies the administrative cost for the purposes mentioned in column (2) of the Schedule below, namely :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Purpose (2)	Costs (3)
I.	Service charges of Land Acquisition for National Highways.	2.5% of the Compensation

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, सचिव.